प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 18.09.2023

- **कानपुर देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का मात्र 72 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना रसूलाबाद मे बालक की हत्या की घटना कारित करने वाली 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादिनी श्रीमती साजरा पत्नी इरफान निवासिनी मकरन्दपुर कहिजरी थाना रसूलावाद जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 16.09.2023 को लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15/09/2023 को समय करीब 07.00 वजे शाम को मेरे पुत्र अव्दुल कादिर पुत्र इरफान उम्र करीब 4 वर्ष को रिहाना पत्नी अरमान निवासिनी कहिन्जरी थाना रसूलावाद जनपद कानपुर देहात द्वारा मार कर तालाव के पानी में फेंक देने के सम्बन्ध मे तहरीर दी जिसके आधार पर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात पर मु0अ0सं0-0386/2023 धारा 302/201 भादवि0 बनाम श्रीमती रिहाना पत्नी अरमान निवासी मकरन्दपुर कहिन्जरी थाना रसूलावाद, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता श्रीमती रिहाना पत्नी अरमान अली निवासिनी मकरन्दपुर कहिन्जरी थाना रसूलावाद, जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 18.09.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर सैयद बाबा की मजार कानपुर रोड कहिन्जरी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटनास्थल से आलाकत्ल (एक अदद हथोडी, एक अदद चाकू) एवं घटना के समय पहने हुये कपडे बरामद किये गये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता रिहाना पूछताछ करने पर टालमटोल करती रही व इधर उधर की बाते बताती रही जब म0उ0नि0 सुमन दीक्षित व निरीक्षक श्री रणजीत सिंह व अन्य पुलिस वल द्वारा क्रास प्रश्न कर कडाई से पूछताछ की तो अभियुक्ता द्वारा बताया कि अब्दुल कादिर अक्सर मेरे छोटे बेटे आसियान उम्र 04 वर्ष के साथ मारपीट कर देता था इस बात को लेकर अब्दुल कादिर की मां साजरा से मेरा कई बार वाद विवाद हो चुका था तथा मैने साजरा से कहा कि अपने बेटे को रोक लो यदि इसने मेरे बच्चो के साथ झगडा किया तो मै इसको मार कर फेक दूंगी। दिनांक 15.09.2023 को जुम्मा के दिन की बात है अब्दुल कादिर मेरे मकान के पास खेल रहा था समय करीब दोपहर के तीन बज रहे थे मै उसको फुसलाकर अपने घर के अदर ले गयी थी जो पीछे कच्चा मकान बना है जहां पर मै खाना बनाती हूँ उसके अन्दर अब्दुल कादिर को मैने हथोडी व चाकू से मारकर हत्या कर दी थी और चाकू व हथोडी को धोकर वही पर छिपा कर रख दिया था तथा उस समय मै जो कपडे पहने थी उनमें उस समय कुछ खून लग गया था तो मैने बगल में जहां मै बर्तन/कपडे धोती हूँ वही कपडे बदलकर उन कपडो को अच्छी तरह से सावुन व पानी से धोकर वही छिपाकर रख दिया था।

उक्त घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट ने पहुचंकर घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया व मृतक की बाडी का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया गया तथा घटना के अगले दिन भी फील्ड यूनिट द्वारा लगातार कई बार घटनास्थल पर वारीकी से छानबीनकर साक्ष्य संकलन किया गया व डाग स्कावड की भी मदद ली गयी जिस कारण घटना के सफल अनावरण में फील्ड यूनिट व डाग स्कावड का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण –

1. श्रीमती रिहाना पत्नी अरमान अली निवासिनी मकरन्दपुर कहिन्जरी थाना रसूलावाद, जनपद कानपुर देहात

बरामदगी –

1. 01अदद हथोडी
2. 01 अदद चाकू
3. घटना के समय पहने हुये कपडे ।

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0386/2023 धारा 302/201 भादवि0 थाना रसूलाबाद कानपुर देहात ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. नि0 श्री रणजीत सिंह थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।
2. उ0नि0 श्री राकेश सिंह चौकी प्रभारी कहिंजरी थाना रसूलाबाद कानपुर देहात
3. म0उ0नि0 सुमन दीक्षित थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात
4. हे0का0 233 संजय थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात
5. का0 534 हर्ष चौधरी थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।
6. म0का0 857 रश्मी बसेडिया थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।